न्यायालय विशेष न्यायाधीश, पी0सी0 एक्ट, कोर्ट नं05/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या – 7314/2018

विशाल मिश्रा आयु लगभग 19 वर्ष पुत्र स्व0 नवल किशोर मिश्रा, निवासी सी73/7, आर0डी0एस0ओ0, मानक नगर, थाना मानकनगर, जनपद लखनऊ।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0 – 358/2018
धारा– 323,504,506,326 भा0दं0सं0
थाना– आलमबाग, लखनऊ।

दिनांकः 09.01.2019

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल मिश्रा की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अपराध संख्या 358/2018, अं0 धारा 323,504,506,326 भा0दं0सं0, थाना आलमबाग, जनपद लखनऊ में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा लालू साहनी ने थाना आलमबाग में लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 01/11/2018 को समय करीग 00.30 बजे मैं अपने बेटे मुकेश के साथ रोड पर खड़ा था तभी आशीष कुजूर व विशाल, रमन एवं अमित द्वारा किसी का पता पूछा गया जो हमें नहीं पता था हमने मना कर दिया कि हमे नहीं मालूम, इसी बात पर नाराज होकर इन लोगों द्वारा मुझे, मेरे लड़के मुकेश के साथ लाठी, डन्डे व ईंट पत्थर से मारना पीटना शुरू कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी जिससे मुझे व मेरे लड़के के सिर में चोटें आयी हैं। अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी। वादी मुकदमा के पुत्र का गंभीर चोट के कारण विभिन्न अस्पतालों में इलाज हुआ और अंततः दौरान इलाज प्रश्नगत घटना में आयी चोटों के कारण मुकेश की मृत्यु हो गयी।

जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त की तरफ से जमानत के संबंध में मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं कारित किया है तथा अभियुक्त दिनांक 1.11.2018 को अपने 3 मित्रों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की दिनांक 03.12.2018 को होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा था और रात में चाय पीने की इच्छा होने पर मित्र के साथ चाय पीने के लिए घर से बाहर निकला तो प्रार्थी/अभियुक्त के एक मित्र द्वारा श्रम विहार कालोनी में अनीस राजा का पता वादी मुकदमा से पूछा गया जिससे नाराज होकर वादी मुकदमा व उसके पुत्र व 2 अन्य लोगों द्वारा अचानक लाठी डण्डे से हमला कर दिया गया जिससे अचानक हमला होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त के सिर में गंभीर चोटें आ गयीं और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। यह भी कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त के मित्र द्वारा ही घटना की तत्काल सूचना सौ नंबर पर दी गयी और पुलिस ही प्रार्थी/अभियुक्त को ट्रामा सेंटर ले गया जहां उसका इलाज शुरू हुआ। वादी मुकदमा व उसके साथियों द्वारा कारित की गयी घटना की सूचना प्रार्थी/अभियुक्त के मित्र द्वारा तत्काल थाना आलमबाग, लखनउ में दी गयी जिस पर थाना आलमबाग, लखनउ की पुलिस द्वारा दिनांक 01.11.2018 को मु0अ0सं0 357/2018 धारा 323, 308, 504, 506 भा0दं0सं0 के तहत कायम किया गया। इस मामले के वादी मुकदमा द्वारा उक्त मुकदमे से बचने के लिए झूठी प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0 358/2018 अं0 धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में दर्ज करायी गयी जिसमें विवेचक द्वारा बाद में धारा 326 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। यह भी कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त आशीष कुजूर की जमानत दिनांक 06.12.2018 को स्वीकार की जा चुकी है। यह भी कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त हमला होते ही गंभीर चोट आने के कारण गिरकर बेहोश हो गया था जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को मारने पीटने व चोट पहुंचाने का कृत्य नहीं किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त एक संभ्रांत परिवार का पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है तथा उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अभियुक्त ने स्वंय को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

अभियोजन की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध किया गया तथा यह कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के पुत्र को गंभीर चोटें पहुंचायी गयीं जिससे अंततः उसकी मृत्यु हो गयी। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के पुत्र के पेट आदि पर ईंट, लाठी–डंडे आदि से मारकर चोटें पहुंचायी गयीं हैं जिससे वह करीब डेढ़ माह तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद मर गया। यह भी कहा गया है कि अभियुक्त अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मादक पदार्थ लेने के लिए झोपड़ पट्टी श्रम विहार कालोनी गया था और वादी एवं मृतक से नाम पता पूछने पर न बताये जाने पर मारपीट व गाली गलौज किया गया जिसमें गंभीर चोंटें आने पर मजरूब की दौरान इलाज मृत्यु हो गयी है। अतः धारा 326 भा0दं0सं0 में यदि किसी अभियुक्तगण को पूर्व में जमानत दे भी दी गयी तो उससे बदली हुयी परिस्थितियों के दृष्टिगत जबकि अपराध की गंभीरता न्यायालय के समक्ष आ चुकी है और अभियुक्त का रिमाण्ड धारा 304 भा0दं0सं0 में भी स्वीकृत हो चुका है, अभियुक्त जमानत का किसी प्रकार से हकदार नहीं है। अतः उक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

इस मामले में अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके पुत्र को लाठी डण्डे व ईंट पत्थर से मारने का आरोप है जिसमें वादी मुकदमा व उसके पुत्र को सिर पर चोटें आयीं तथा उसके पुत्र मुकेश को पेट में भी ईंटों से मारने का आरोप है। इसके पश्चात मुकेश काफी दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा और अंततः इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का है जिससे वादी मुकदमा के पुत्र की मृत्यु हो गयी।

जहां तक प्रार्थी/अभियुक्त का घटना में चोट आने का प्रश्न है, तो इस संबंध में उसके द्वारा इलाज आदि के पर्चे अवश्य प्रस्तुत किये गये हैं परंतु इस संबंध में थाने की आख्या में इस बात का उल्लेख है कि प्रार्थी/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थ प्राप्त करने की जानकारी में वादी तथा उसके पुत्र मुकेश को काफी मारा पीटा गया तथा गाली गलौज व धमकी दी गयी जिससे मृतक की आंतें फट गयीं व उसका काफी दिनों तक अस्पताल में इलाज चलता रहा तथापैसे की कमी के कारण बाद में वादी मुकदमा द्वारा अपने पुत्र को प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां अंततः दिनांक 19.12.2018 को उसकी मृत्यु हो गयी। जहां तक सह अभियुक्त आशीष कुजूर की जमानत का प्रश्न है, तो तत्समय चुटैल मुकेश की मृत्यु नहीं हुयी थी तथा अपराध की गंभीरता के संबंध में समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं थे परंतु अब बदली हुयी परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त आशीष कुजूर की जमानत के आधार पर अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी नहीं है।

जहां तक अभियुक्त के इस तर्क का प्रश्न है कि मृतक को जब ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया तो उसे रोड ट्रेफिक एक्सीडेंट का मामला बताकर भर्ती किया गया तो इस सम्बन्ध में अभी ऐसा कोई प्रपत्र केस डायरी में उपलब्ध नहीं है। वैसे यह स्वंय अभियुक्त की तरफ से स्वीकृत तथ्य है कि घटना के समय दोनों पक्षों में मारपीट हुयी थी। वैसे भी अभी विवेचना प्रचलित है और इस संबंध में इस स्तर पर कोई निष्कर्ष नहीं अवधारित किया जा सकता। जहां तक अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की मारपीट न किये जाने का प्रश्न है, तो यह साक्ष्य का विषय है और इस स्तर पर इस संबंध में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर पायी जाती है।

अतः संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विशाल मिश्रा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 09.01.2019

(कृष्ण कुमार)
विशेष न्यायाधीश, पी0सी0 एक्ट,
कोर्ट नं05/अपर सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।